

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**जल संसाधन विभाग**  
**मंत्रालय,**  
**झानदी क्षेत्र, जवा रायपुर अठले नगर,**  
**झिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्रमांक ५५३ /एफ-७-१७५/३१/एस-२/२०२१,  
प्रति.

अठले नगर, दिनांक ०८/०२/२०२२

मुख्य अभियंता,  
हसदेव कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- रायगढ़ जिले के लिबरा स्टापडेम निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्र.-३३३/बो.प्र./A.A./T.S./२०२१/९६५०, दिनांक २४.११.२०२१.

—००—

राज्य शासन एतद् द्वारा रायगढ़ जिले के विकासखण्ड—लैलुंगा के ग्राम—लिबरा के निकट खारून नदी पर स्टापडेम निर्माण कार्य हेतु रु.२४६.९० लाख (रूपये दो करोड़ छियालीस लाख नब्बे हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से पेयजल, निस्तारी, भू—जल संवर्धन के अतिरिक्त ग्राम लिबरा के 20 हेक्टेयर भूमि में कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से सिंचाई की जावेगी।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-४१— लेखाशीर्ष— ४७०२—लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {१०२} भू—तल जल, ०१०१—राज्य आयोजना (सामान्य), (५०५९) एनीकट/स्टापडेम निर्माण, # ९७ निर्माण कार्य, ००३ बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश २५/२०१२ अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक २०.१२.२०२१ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता/निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा ओदेशाबुजाद

*PM  
०८/०२/२०२२*

(प्रेमसिंह घटेन्द्र)


अवर सचिव

*प्रेमसिंह घटेन्द्र*  
४/८५८ जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 554 / एफ-7-175/31/एस-2/2021,  
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 07/02/2022

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
  3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
  7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
  8. कलेक्टर, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)।
  9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
  10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
  11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4-22 अटल नगर।
  12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर—अटल नगर।
  13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, रायगढ़, जिला—रायगढ़।
  14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, जिला—रायगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।



07/02/2022  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
महानदी संसाधन विभाग